

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 01/भू0अ0नि0(4)गै0यो0 आवंटन (स्था0-0001)- 01/2021...1540

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना-7
सहायक निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 29-04-2021

विषय :- विपत्र कोड -40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि मद से भिन्न मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके कार्यालय हेतु वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष / ईकाई कोड	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल योग
1	2	3	4	5
1	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2,00,000	90,000	2,90,000
2	11 01 यात्रा व्यय	2,00,000	40,000	2,40,000
3	13 01 कार्यालय व्यय	5,00,000	5,00,000	10,00,000
4	13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	1,50,000	—	1,50,000
5	13 03 दुरभाष	25,000	16,500	41,500
6	13 04 विद्युत	—	3,00,000	3,00,000
7	13 05 विधि प्रभार	1,00,000	—	1,00,000
8	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	—	2,50,000	2,50,000
9	21 01 सामग्री एवं आपूर्ति	—	15,00,000	15,00,000
10	52 01 मशीने उपस्कर	2,00,000	3,00,000	5,00,000
कुल योग :-		13,75,000	29,96,500	43,71,500

(तेतालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या -40 एवं विपत्र कोड 40-2029001030001 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वसभाजन

(जय सिंह) 4
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(4)गै0यो0 आवंटन (स्था0-0001)- 01/2021.15.40...पटना, दिनांक :-29-04-2021

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :- 01/भू0अ0नि0(4)गै0यो0 आवंटन (स्था0-0001)- 01/2021.15.40...पटना, दिनांक :-29-04-2021

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा/सुश्री सुरभि सिंह, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप 21